भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1233**

उत्तर देने की तारीख 08 दिसंबर, 2025

सोमवार, 17 अग्रहायण, 1947 (शक)

**ओडिशा में रोजगार के अवसरों का आकलन**

**1233. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**

**क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों, विशेष रूप से ओडिशा जैसे क्षेत्रों में कम कुशल युवाओं के लिए व्यवहार्य रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ग्रामीण और सामाजिक उद्यमिता की क्षमता संबंधी कोई आकलन किया है जहां स्टार्ट-अप कार्यकलाप बढ़ रहे हैं लेकिन श्रम बाजार अंतराल बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ओडिशा से संबंधित निष्कर्षों विशेष रूप से मौजूदा कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता के संबंध में, प्रशिक्षित जनशक्ति में मांग-आपूर्ति बेमेल और पीएम-विश्वकर्मा, पीएमकेवीवाई 4.0 जैसे केंद्रीय कार्यक्रमों के उपयोग के संबंध में ब्यौरा क्या है और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटी आई) की क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उद्यमिता विकास पहलों के तहत समर्थित प्रशिक्षुओं की संख्या और इनक्यूबेशन और क्रेडिट-लिंकेज सहयोग की उपलब्धता के संबध में बोलांगीर के लिए जिला-स्तरीय डेटा उपलब्ध है और ऐसे कार्यक्रमों ने स्थानीय उद्यम निर्माण और रोजगार सृजन में किस हद तक योगदान दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

**(क) से (घ)** कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) के माध्यम से आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) कार्यक्रम के तहत "उच्च विकास क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय कौशल अंतर अध्ययन" नामक एक अध्ययन शुरू किया है। अध्ययन का उद्देश्य राष्ट्रीय डेटा सेट और श्रम बाजार की जानकारी का उपयोग करके पूर्वानुमान क्षेत्र और राज्य-स्तरीय कौशल मांग के लिए एक गतिशील ढांचा तैयार करना और मांग-आपूर्ति बेमेल के कारणों की पहचान करना है। अध्ययन

उच्च विकास वाले क्षेत्रों, जॉब रोल्स और भौगोलिक समूहों का पता लगाने के लिए एक पद्धति स्थापित करता है जो इंगित करता है कि नए उद्यम और स्व-रोज़गार (ग्रामीण और सामाजिक उद्यमों सहित) सबसे अधिक कहाँ दिखाई देते हैं। रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है और राज्य विशिष्ट कौशल अंतर मूल्यांकन आयोजित करने में इसके कार्यान्वयन और प्रत्युत्तर के लिए सभी राज्य कौशल मिशनों को परिचालित कर दी गई है।

इसके अलावा, जिला कौशल विकास योजनाएं (डीएसडीपी) एमएसडीई के विकेंद्रीकृत योजना दृष्टिकोण के तहत अनिवार्य हैं, जिसमें जिला कौशल समितियां श्रम बाजार मूल्यांकन, क्षेत्र प्राथमिकता और स्थानीय कौशल अंतर विश्लेषण का उपयोग करके वार्षिक योजनाएं तैयार करती हैं।

इन आकलनों ने सरकार को अपने कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पाठ्यक्रम विकास और कौशल पहलों को बढ़ाने में सक्षम बनाया है ताकि उन्हें पहचाने गए कौशल अंतराल, क्षेत्र-वार कौशलोन्नयन और पुनर्कौशलीकरण पहल, प्रशिक्षुता, व्यावसायिक या नौकरी प्रशिक्षण के साथ संरेखित किया जा सके; साझेदारी स्थापित करने के अवसरों सहित उद्योग के साथ सहयोग के क्षेत्र; उद्योग की जरूरतों और कार्यबल के पास मौजूद कौशल के बीच अंतर को पाटने के लिए उद्योग अग्रणी प्रशिक्षण कार्यक्रम, इंटर्नशिप या मेंटरशिप कार्यक्रम।

स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई 4.0) जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों के एक नेटवर्क के माध्यम से कौशलीकरण, पुनर्कौशलीकरण और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिसमें अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और पूर्व अधिगम की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से ओडिशा सहित देश भर में युवाओं को कौशलोन्नयन और पुनर्कौशलीकरण प्रदान किया जाता है। दिनांक 31.10.2025 को, 322 सूचीबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत ओडिशा में 49,157 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है।

इसके अलावा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) और वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के तहत वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सहयोग से  हाथ और उपकरणों से काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को "सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि" प्रदान करने के लिए **पीएम-विश्वकर्मा योजना** शुरू की। योजना के तहत प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और प्रशिक्षण का संचालन किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक जिले के लिए किसी विशेष ट्रेड (योजना के तहत शामिल 18 ट्रेड में से) में उपलब्ध उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर शुरू किया जाता है। दिनांक 26.11.2025 तक, ओडिशा राज्य में कुल 84,525 लाभार्थियों को प्रशिक्षित और मूल्यांकन किया गया है, जिनमें से 6047 बोलांगीर जिले से हैं।

इसके अलावा, **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)** एक बैंक अग्रणी ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा वित्त पोषित प्रशिक्षण संस्थान है, जो कौशल और उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रायोजक बैंकों द्वारा अपने जिलों में स्थापित किया गया है। वर्तमान में ओडिशा में 30 आरएसईटीआई अधिकांश जिलों में सक्रिय हैं और सूक्ष्म उद्यम निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। योजना की शुरुआत से अक्टूबर 2025 तक, ओडिशा के बोलांगीर जिले में कुल 9226 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 7580 ने अपना सूक्ष्म उद्यम शुरू किया है।

इसके अतिरिक्त, एमएसडीई ने अपने स्वायत्त संस्थानों, अर्थात् राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड़) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के माध्यम से, बोलांगीर, ओडिशा के ग्रामीण युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों के बीच उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की हैं। एमएसडीई ने इनक्यूबेशन मदद, सलाहकारों का नेटवर्क, उद्योग संपर्क, क्रेडिट और बाजार संपर्क प्रदान करके उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के साथ सहयोग किया है। मंत्रालय द्वारा की गई ऐसी पहलों का विवरण **अनुबंध I** में दिया गया है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा ओडिशा राज्य सहित विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। ओडिशा राज्य में अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित कुछ प्रमुख पहलों का विवरण **अनुबंध II** में है।

**अनुबंध ।**

**"ओडिशा में रोजगार के अवसरों का आकलन" के संबंध में दिनांक 08.12.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1233 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**ओडिशा राज्य सहित देश भर के उद्यमियों के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न उद्यमिता विकास पहलों का विवरण इस प्रकार है:**

**1. प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन)** - एमएसडीई, निस्बड और आईआईई के माध्यम से, मार्च 2024 से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के उत्थान के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक योजना - पीएम जनमन के कौशल और उद्यमशीलता घटक को लागू कर रहा है। यह योजना एमएसडीई सहित 9 प्रमुख मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है। मंत्रालय के प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) में कौशल और उद्यमशीलता विकास की सुविधा प्रदान करना है। यह परियोजना देश भर के 15 राज्यों में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (ट्राइफेड) के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है, जिसके तहत कुल 500 वीडीवीके स्थापित किए जाने हैं।

दिनांक 04.12.2025 तक, कुल 458 वीडीवीके चालू हो चुके हैं और कुल 36,684 लाभार्थियों को पीएम जनमन के उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के तहत प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 2328 ओडिशा में प्रशिक्षित हैं। ओडिशा में पीएम जनमन को अंगुल, देवघर, गजपति, गंजाम, कालाहांडी, केनोझार, मलकानगिरी, मयूरभंज, नौपाड़ा, रायगड़ा और सुंदरगढ़ जिलों में लागू किया जा रहा है।

**2. प्रधान मंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना योजना (पीएम एसजीएमबीवाई योजना) -** मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के सहयोग से, एमएनआरई की प्रमुख योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर उद्यमिता पर उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का आयोजन कर रहा है।

कार्यक्रम का उद्देश्य छत पर सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना, उद्यमियों को सशक्त बनाना और सौर उद्यमिता के क्षेत्र में उभरते और मौजूदा उद्यमियों को बढ़ावा और सलाह देकर स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना है। जुलाई 2024 (शुरुआत) और दिनांक 25-11-2025 के बीच, योजना के उद्यमिता विकास कार्यक्रम में 20,499 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 2268 ओडिशा में और 209 बोलांगीर जिले में प्रशिक्षित हैं।

**3. संकल्प योजना के तहत क्षमता निर्माण, इनक्यूबेशन मदद, सलाह और सहायता के माध्यम से उद्यमशीलता के माहौल को मजबूत करना -** एमएसडीई ने, निस्बड के माध्यम से दिसंबर 2022 और मार्च 2025 के बीच आजीविका संवर्धन (संकल्प) योजना के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता के तहत समाज के विभिन्न हाशिए वाले वर्गों और महिलाओं के उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक परियोजना लागू की। इस योजना का उद्देश्य क्षमता निर्माण, इनक्यूबेशन सपोर्ट, मेंटरिंग और हैंडहोल्डिंग के माध्यम से विभिन्न लक्ष्य समूहों के बीच उद्यमशीलता का विकास को बढ़ावा देना है। संकल्प को तीन चरणों में लागू किया गया है। संकल्प 1 के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान कुल 23825 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। 2950 प्रशिक्षित उम्मीदवार ओडिशा के थे, जिनमें 126 बोलांगीर के थे। संकल्प 2 के तहत, वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान कुल 24000 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें ओडिशा के 1050 और बोलांगीर के 180 उम्मीदवार शामिल हैं। संकल्प 3 के तहत, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 15000 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 1559 ओडिशा से थे, जिनमें 248 बोलांगीर से थे।

**4. उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के लिए पायलट परियोजना -** निस्बड ने जनवरी 2020 से मार्च 2023 तक कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा सहायता -प्राप्त 10 राज्यों में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए एक पायलट परियोजना लागू की, जिसका उद्देश्य उद्यमिता विकास कार्यक्रम, सलाह और मार्ग दर्शन के माध्यम से लक्षित समूहों के बीच उद्यमिता की भावना पैदा करना, बढ़ावा देना और उसका संवर्धन करना है। वित्त वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान परियोजना के तहत कुल 5000 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 120 लाभार्थियों को ओडिशा के बोलांगीर जिले में प्रशिक्षित किया गया।

**अनुबंध II**

**ओडिशा राज्य सहित देश भर के उद्यमियों के लिए भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न उद्यमिता विकास पहलों का विवरण इस प्रकार है:**

**1. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) -** सरकार ने नवाचार, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक सशक्त एको - सिस्टम-बनाने के इरादे से 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार स्टार्टअप इको - सिस्टम के विकास और वृद्धि के लिए नीति, नियामक और वित्तीय उपायों सहित लगातार विभिन्न प्रयास करती है। प्रमुख योजनाएं, अर्थात् स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) उनके व्यापार चक्र के विभिन्न चरणों में स्टार्टअप्स का समर्थन करती हैं। सरकार राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार और नवाचार सप्ताह (इनोवेशन वीक) सहित समय-समय पर अभ्यास और कार्यक्रम भी लागू करती है जो स्टार्टअप इको - सिस्टम के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार स्टार्टअप महाकुंभ जैसी इको - सिस्टम के नेतृत्व वाली पहलों को भी प्रोत्साहित और समर्थन करती है जो हितधारकों के लिए नेटवर्क और सहयोग के **बाज़ार पहुंच** में सुधार लाने और सार्वजनिक खरीद को सक्षम करने के साथ-साथ स्टार्टअप को अपने व्यवसाय को बढ़ाने और बढ़ाने में सहायता करने की पहल भी की गई है। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म संसाधनों और स्टार्टअप इको - सिस्टम सहयोग तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं। सरकार ने व्यवसाय शुरू करने, पूंजी जुटाने और विनियामक वातावरण को सरल बनाने और अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने के लिए अनुपालन बोझ को कम करने सहित व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं।

दिनांक 31 अक्टूबर 2025 तक, मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स ने 21.11 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित करने की सूचना दी है। विशेष रूप से **ओडिशा** राज्य में, 3,428 संस्थाओं को डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है, जिन्होंने दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 तक 40,400 से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन की सूचना दी है।

उपरोक्त कार्यक्रमों के अलावा, डीपीआईआईटी ने युवाओं के बीच नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा की गई निम्नलिखित पहलों की भी सूचना दी:

i. **नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम)** अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) और कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप (सीआईएफ) जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से भारत के युवाओं के बीच नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है।

ii. **शिक्षा मंत्रालय** का इनोवेशन सेल (एमआईसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है।

iii. **युवा कार्य और खेल मंत्रालय** द्वारा युवा-केंद्रित पहल शुरू की गई है, जैसे कि मेरा युवा भारत (एमवाई भारत) नामक स्वायत्त निकाय की स्थापना, इसका उद्देश्य अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रमों (ईएलपी), स्वयंसेवी अवसरों, परामर्श कार्यक्रम आदि के माध्यम से युवा विकास और युवा-नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक अति-महत्वपूर्ण संस्थागत तंत्र प्रदान करना है।

iv. **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग** के अंतर्गत, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग युवाओं में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इनिशटिव फॉर डेवेलपिंग एंड हारनेससिंग (एनआईडीएचआई) को क्रियान्वित कर रहा है। इस पहल में निधि-प्रयास (प्रोटोटाइप अनुदान सहायता), निधि-ईआईआर (आवासीय उद्यमी फेलोशिप), निधि-आईटीबीआई (टियर-II और टियर-III क्षेत्रों में समावेशी टीबीआई) शामिल हैं।

v. **वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)** अपने घटक प्रयोगशालाओं/संस्थानों के माध्यम से, "एकीकृत कौशल पहल कार्यक्रम" लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से युवा दिमाग को आवश्यक तकनीकी कौशल से सुसज्जित करना है।

vi. **जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी)** ने बायोनेस्ट (बायोइनक्यूबेटर्स नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्केलिंग टेक्नोलॉजीज) और ई-युवा (युवाओं को नवोन्मेषी अनुसंधान गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना) योजनाओं के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों प्रदेशों (यूटी) में जैव प्रौद्योगिकी इन्क्यबेशन और पूर्व- इन्क्यबेशन केंद्र स्थापित किए हैं।

**2. ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)** 15-35 वर्ष के आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए नियोजन से जुड़ा एक कौशल विकास कार्यक्रम है। यह ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार योग्य कौशल के साथ सशक्त बनाता है और नियमित श्रम बाजारों में उनकी भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है, इस प्रकार उन्हें न्यूनतम मजदूरी पर या उससे ऊपर नियमित मासिक वेतन वाली नौकरियां प्रदान करता है।

ओडिशा सरकार के पंचायती राज और पेयजल विभाग के तत्वावधान में ओआरएमएएस (ओडिशा ग्रामीण विकास और विपणन सोसायटी) ने ग्रामीण और सामाजिक उद्यमिता के अवसरों सहित मौजूदा रोजगार क्षमता का आकलन करने के लिए ओडिशा राज्य के लिए एक कौशल अंतर अध्ययन को मंजूरी दी है। अध्ययन कराने के लिए चयनित एजेंसी को कार्यादेश पहले ही जारी किया जा चुका है।

**3. एमएसएमई मंत्रालय,** खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) लागू कर रहा है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो देश भर में गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में संभावित उद्यमियों की सहायता करके मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करती है।

पीएमईजीपी सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के साथ सहायता करता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं, पूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, उत्तर - पूर्व क्षेत्र (एनईआर), पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों जैसे विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए, मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। विशेष श्रेणी के तहत लाभार्थियों का स्वयं का योगदान सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 05% और 10% है। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये है। विशेष श्रेणी के तहत लाभार्थियों का स्वयं का योगदान सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 05% और 10% है।

उत्तर - पूर्व क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पीएमईजीपी के तहत एमएसएमई मंत्रालय द्वारा की गई पहल इस प्रकार हैं:

i. विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करना।
ii. उच्च सब्सिडी के लिए पात्र विशेष श्रेणी के अंतर्गत आकांक्षी जिलों और ट्रांसजेंडरों के आवेदकों को शामिल करना।
iii. जून 2025 से हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर 19 क्षेत्रीय भाषाओं में लाभार्थियों से पीएमईजीपी आवेदन भौतिक रूप में स्वीकार करना, जैसे गुजराती, मलयालम, पंजाबी, मणिपुरी, बांग्ला, मराठी, तमिल, असमिया, कन्नड़, उड़िया, तेलुगु, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, सिंधी, उर्दू, मैथिली।
iv. पशुपालन के अंतर्गत डेयरी, मुर्गी पालन, जलीय कृषि और रेशम उत्पादन जैसी अधिक गतिविधियों की अनुमति देने के लिए नकारात्मक सूची को संशोधित करके गतिविधियों का दायरा बढ़ाना। इसके अलावा, एक विशेष मामले के रूप में, उत्तर पूर्व राज्यों में - आजीविका के एक प्रमुख स्रोत, सुअर पालन को भी अनुमति दी गई है।
v. सभी नए सूक्ष्म उद्यमों को भौतिक सत्यापन से पहले उद्यम पोर्टल के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने में सहायता प्रदान की गई ताकि इकाई का औपचारिकीकरण सुनिश्चित किया जा सके और प्रमुख एमएसएमई लाभों तक उनकी पहुँच सुनिश्चित की जा सके।
vi. विभिन्न उद्योगों पर विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के 1,000 से अधिक मॉडल तैयार किए गए हैं और उन्हें पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है।

वित्त वर्ष 2020-21 से 2025-26 के दौरान बोलनगीर ज़िले में पीएमईजीपी के तहत मदद पाने वाले माइक्रो एंटरप्राइज़ की संख्या, वितरित की गई गई मार्जिन मनी सब्सिडी, सृजित अनुमानित रोज़गार की संख्या (दिनांक 3.12.2025 तक):

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | सहायता-प्राप्त यूनिट की संख्या | मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रु. में) | सृजित अनुमानित रोज़गार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-21 | 134 | 3.02 | 1072 |
| 2 | 2021-22 | 187 | 3.96 | 1496 |
| 3 | 2022-23 | 189 | 4.33 | 1512 |
| 4 | 2023-24 | 111 | 3.96 | 888 |
| 5 | 2024-25 | 71 | 1.79 | 568 |
| 6 | 2025-26* | 127 | 3.00 | 1016 |

4. **कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय** वर्ष 2002 से कृषि में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और वांछनीय शैक्षिक योग्यता और सार्वजनिक विस्तार के पूरक प्रयासों के साथ बेरोजगार उम्मीदवारों के लिए लाभकारी स्व-रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए ओडिशा सहित पूरे देश में कृषि विस्तार पर उप-मिशन (एसएमएई) के तहत कृषि विस्तार योजना (एसएमएई) के तहत कृषि-क्लिनिक और कृषि-व्यवसाय कार्यक्रम की स्थापना लागू कर रहा है।

21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के विभिनन श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए चालू है। कृषि और संबद्ध विषयों में स्नातक, जीवन विज्ञान (वनस्पति विज्ञान, प्राणीशास्त्र और रसायन विज्ञान), पर्यावरण विज्ञान और कृषि और संबद्ध विषयों में डिप्लोमा धारक (उच्च माध्यमिक के बाद 3 साल का डिप्लोमा) कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं। चयनित उम्मीदवारों को राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (एमएएनएजीई), हैदराबाद की देखरेख में देश भर के विभिन्न नोडल प्रशिक्षण संस्थानों (एनटीआई) से 45 दिनों का मुफ्त आवासीय प्रशिक्षण मिलता है।

इस स्कीम में प्रशिक्षण और मार्ग दर्शन के लिए पूरी वित्तीय मदद, एग्रीवेंचर शुरू करने के लिए ऋण की सुविधा और क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड कम्पोजिट सब्सिडी शामिल है। सामान्य श्रेणी के लिए सब्सिडी 36% और महिलाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडबल्यूडीएस/एनईएच उम्मीदवारों के लिए परियोजना के कुल वित्तीय खर्च टीएफ़ओ) पर 44% है, जिसमें टीएफ़ओ की सीमा व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए रु.20 लाख और प्रशिक्षित पांच लोगों के ग्रुप द्वारा शुरू की गई ग्रुप परियोजनाओं के लिए Rs.100 लाख होगी, जिसे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड), मुंबई के ज़रिए बांटा जाएगा। शुरू किए गए एग्रीवेंचर खुद के साथ-साथ बिज़नेस के नेचर व्यवसाय की प्रकृति और मात्रा के आधार पर और लोगों को भी नौकरी के मौके दे रहे हैं।

ओडिशा राज्य में अब तक 643 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें बोलनगीर जिले के 3 उम्मीदवार शामिल हैं। बोलनगीर जिले के 1 उम्मीदवार सहित कुल 116 उम्मीदवारों ने अपना एग्रीवेंचर शुरू किया है।

*****